

	mentioned devices shall be conducted to assess suitability of the candidate.			
--	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officer of the Central Government or the State Government or Union territory Administration:</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (ii) Possessing the educational qualification and experience as specified for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'C', Departmental Confirmation Committee- (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(i) Deputy Director - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; (ii) Assistant Director - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - member; (iii) Administrative Officer Grade - II or III - Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 23011/30/2023-PT]

D. K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 2024

सा.का.नि. 58.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (आपदा प्रबंधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, उप निदेशक (आपदा प्रबंधन), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (आपदा प्रबंधन)।	04* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 [₹67700-208700/-]।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित); तथा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>विभागीय सहायक निदेशक (आपदा प्रबंधन) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100 – 177500/-) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित बुनियादी प्रबंधन में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने जो पहले से ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या क्लानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56100 – 177500/-) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव हो:</p> <p>(i) अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या गणित सांख्यिकी या ऑपरेशन्स रिसर्च में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वायत्त संगठन या विश्वविद्यालयों या क्लानूनी निकाय में सांख्यिकीय डाटा के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) संयुक्त सचिव (प्रशासन) : अध्यक्ष;</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) : सदस्य;</p> <p>(iii) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) : सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>(ग) वांछनीयः (i) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपदा प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा हो; तथा (ii) जिसके पास राहत कार्यों को संभालने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पण 1.-पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2.-प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3.-प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
---	--	--

[फा.सं. ए-12018/01/2022-Ad.V]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 14th May, 2024

G.S.R. 58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Disaster Management) in the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Deputy Director (Disaster Management), Group ‘A’ Post, Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and

other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Disaster Management).	04* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700–208700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Fifty per cent. by deputation (including short-term contract); and (ii) Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Departmental 'Assistant Director (Disaster Management)' in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500), with five years regular service in the grade and having successfully completed the training on Basic management conducted by the the Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotions, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary (Administration) -Chairman; 2. Joint Secretary (Disaster Management) - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Administration) -Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>University or recognised research institutions,-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) officer with five years' service rendered after appointment thereto in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent on a regular basis in parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience,-</p> <p>(i) Essential: Masters Degree in Economics or Commerce or Mathematic Statistics or Operations Research from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Five years experience in compilation, presentation and analysis of statistical data in a Government Office or public sector undertakings or autonomous organisation or University or statutory body.</p> <p>(c) Desirable:</p> <p>(i) Degree or Diploma in Disaster Management from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) At least one year experience in handling relief operations.</p> <p>Note 1.- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2.-The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.-The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/01/2022-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 2024

सा.का.नि. 59.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई